भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 352

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एग्रीश्योर निधि

352. श्री दुलू महतोः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एग्रीश्योर निधि का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निधि के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि बीमा, डेटा विश्लेषण, स्मार्ट उपकरण और डिजिटल समाधान है;

(ग) क्या किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्टार्टअप, राज्य सरकारें और कृषि-तकनीक कंपनियां इस संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं;

(घ) क्या निधि का उपयोग बीमा, फसल निगरानी और तकनीकी सेवा के लिए किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या झारखंड राज्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बैंकों, बीमा कंपनियों और राज्य एजेंसियों की साझेदारी से कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(छ) क्या छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है और अनुदान एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): एग्रीश्योर फंड के उद्देश्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसानों को नवीन, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करने वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स को निवेश की सहायता प्रदान करना शामिल है। इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स में प्रत्यक्ष निवेश के साथ-साथ फंड के उद्देश्यों के अनुसार स्टार्टअप्स में निवेश के लिए अन्य वैकल्पिक निवेश फंड्स (ए.आई.एफ.) में योगदान देकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

(ख): इस कोष की कुल राशि 750 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड दोनों ही 250 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं। शेष 250 करोड़ रुपये बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य निजी निवेशकों से जुटाए जाने हैं।

इस कोष का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स में निवेश करना है, ताकि डिजिटल और नवीन समाधानों तथा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), उन्नत कृषि, जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि बीमा, डेटा विश्लेषण, स्मार्ट उपकरण और डिजिटल समाधानों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है।

(ग): फंड की एग्रीश्योर डायरेक्ट योजना केवल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत में निगमित स्टार्टअप्स में ही निवेश करेगी बशर्ते कि वे फंड की निवेश नीति के अनुसार निवेश के लिए उपयुक्त पाए जाएँ। फंड के निवेश संबंधी निर्णय फंड की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के अनुरूप एक निवेश समिति द्वारा फंड की निवेश नीति के अनुसार लिए जाते हैं।

(घ): इस फंड से निवेश, फंड के उद्देश्यों के अनुसार, स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणी I और श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश फंड्स (ए.आई.एफ.) में किया जाता है। यदि बीमा, फसल निगरानी समाधान और तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप्स फंड की नीति के अनुसार निवेश योग्य पाए जाते हैं तो इस फंड से लाभान्वित हो सकते हैं।

(ङ): यह फंड पूरे भारत में निवेश करेगा तथा इसका कोई राज्य विशेष लक्ष्य नहीं होगा।

(च): एग्रीश्योर सेबी द्वारा पंजीकृत फंड है जो सेबी (ए.आई.एफ.) दिशा-निर्देश, 2012 द्वारा विनियमित है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित फंड की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स में निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है। बैंकों और बीमा कंपनियों को, लिमिटेड पार्टनर के रूप में कार्य करते हुए, निवेशित कंपनियों की निगरानी करने का अधिकार है। फंड की प्रगति की रिपोर्ट समय-समय पर भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) को दी जाती है।

(छ): इस फंड में अनुदान और तकनीकी सहायता का कोई घटक नहीं है। हालाँकि, इस कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्टार्ट-अप्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले समाधानों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाना है ताकि उन्हें किफायती लागत पर नवीन समाधान उपलब्ध कराए जा सकें।

*****